रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 1, 1991/ज्येष्ठ 11, 1913

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 1, 1991/JYAISTHA 11, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 14 मई, 1991

सा. का. नि. **335.**—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अधीन राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में वरिष्ठ प्रणाली विश्लेषक पद की भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक तथा आरम्भ होना

(i) इन नियमों को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, वरिष्ट प्रणाली विश्लेषक भर्ती नियमावली, 1991 कहा जाए।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान इसी प्रकार होंगे, जिस प्रकार इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद के लिए भर्ती प्रणाली, आयु सीमा और उससे संबंधित अर्हताएं और अन्य मामले वही होंगे, जिस प्रकार पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में निर्दिष्ट हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 मई, 1991

सा.का.नि. 342.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में तकनीशियन के पद से संबंधित क्रम सं. 3 के सामने,

(क) स्तम्भ 5 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :—

"1200-30-1440-द.रो.-30-1800 रु."

(ख) स्तम्भ 7 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"18 से 25 वर्ष। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बाबत 45 वर्ष तक) की जा सकती है।"

(ग) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 10 प्रतिशत विभागीय क्वालीफाइंग परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा।"

(घ) स्तम्भ 12 में मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ख) जिन्होंने महानिदेशक, आकाशवाणी द्वारा संचालित विभागीय क्वालीफाइंग परीक्षा में कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं।"

टिप्पणियां :

(1) आकाशवाणी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम 1964 सा.का.नि. सं. 1776, तारीख 30 नवम्बर, 1964 द्वारा अधिसूचित किए गए थे।

(2) सा.का.नि.सं. 762, तारीख 2 जून, 1979 द्वारा भागतः अधिक्रांत किए गए, और

(3) अधिसूचना सं. 704/11/77-बी (डी), तारीख 7 फरवरी, 1981 द्वारा संशोधित किए गए।

(4) अधिसूचना सं. 310/10/82-बी (डी) तारीख 7 मई, 1985 द्वारा संशोधित किए गए।

(5) अधिसूचना सं. 310/10/82-बी (डी), तारीख 18 अगस्त, 1986 द्वारा संशोधित किए गए।

(6) अधिसूचना सं. 310/10/82-बी (डी) तारीख 11 मार्च, 1987 द्वारा संशोधित किए गए, और

(7) अधिसूचना सं. 3/45/88-एस-iv(ए)/बी (डी), तारीख 22 जून, 1989 द्वारा संशोधित किए गए, और

8. अधिसूचना सं. 310/46 89-बी (डी) तारीख 29 जनवरी, 1990 (सा.का.नि.सं. 119, तारीख 27 मार्च, 1990) द्वारा संशोधित किए गए।

(9) अधिसूचना सं. 3/17/89-एस-iv (ए)/बी (डी), तारीख 2 मार्च, 1990 द्वारा संशोधित किए गए।

[सं. 310/46/89-बी (डी)]
पी.एम. राजू, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 10th May, 1991

G.S.R. 342.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1979, against S. No. 3 relating to the post of Technician,

(a) for the existing entry in Column 5, the following shall be substituted, namely :—

"Rs. 1200-30-1440-EB-30-1800";

(b) for the existing entry in Column 7, the following shall be substituted, namely :—

"18-25 years, relaxable upto 40 years (upto 45 years in respect of Scheduled Caste|Scheduled Tribe candidates) in case of Government Servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.";

(c) for the existing entry in Column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"90% by direct recruitment and 10% by promotion on the basis of a departmental qualifying examination failing which by direct recruitment.";

(d) in column 12, for item (b), the following shall be substituted, namely :—

"(b) who have secured minimum 60% marks in aggregate in the departmental qualifying examination conducted by the Director General, All India Radio."

NOTE.—1. All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules 1964 were notified by GSR 1776 dated 30th November, 1964.

2. Partially superseded by GSR No. 762 dated 2nd June, 1979.

3. Amended by Notification No. 704|11|77-B(D) dated 7-2-81.

4. Amended by Notification No. 310|10|82-B(D) dated 7th May, 1985.

5. Amended by Notification No. 310|10|82-B(D) dated 18th August, 1986.

6. Amended by Notification No. 310|10|82-B(D) dated 11-3-87.

7. Amended by Notification No. 3/45/88-S.IV(A)|B(D) 22-6-89.

8. Amended by Notification No. 310|46|89-B(D) dated 29-1-90. (GSR No. 119 dated 27-3-90) and,

9. Amended by Notification No. 3|17|89-S.IV(A)|B(D) dated 2-3-90.

[No. 310|46|89-B(D)]
P. M. RAJU, Under Secy.